

राजस्थान सरकार  
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक: प.1(16)वित्त/राजस्व/18

जयपुर, दिनांक:- 5/6/2020

परिपत्र


विषय:-राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा सत्र 2020-22 के 2 वर्षीय PGDM (FM) पाठ्यक्रम हेतु आवेदन।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा संचालित 2 वर्षीय PGDM (FM) पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को नामित किये जाने हेतु इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार हैं:-


1. यह पाठ्यक्रम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकारियों में वित्तीय कौशल विकसित करने की दृष्टि से केन्द्रीय योजनान्तर्गत पोषित एवं प्रायोजित एवं राष्ट्रीय वित्तीय प्रबन्धन संस्थान, फरीदाबाद द्वारा संचालित किया जायेगा।
2. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के सत्र 2020-22 का पाठ्यक्रम सम्भवतः जुलाई-अगस्त, 2020 से प्रारम्भ होगा।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि (30 जून, 2020) को 50 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।
4. सभी प्रतिभागियों को भारतीय विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक या डिग्री के बराबर होना चाहिए। स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने चाहिए।
5. संस्थान द्वारा प्राप्त प्रवेश आवेदन पत्रों को मापदण्ड के अनुसार छंटनी कर प्रायोजित पात्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं ग्रुप डिस्कशन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। ऐसे पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से संस्थान द्वारा चयनित कर लिया जायेगा।
6. यह पाठ्यक्रम आवासीय है।
7. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को नामित किया जायेगा। पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस, पठन सामग्री, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दैनिक निर्वाह भत्ता का नियमानुसार पुनर्भरण किया जायेगा।
8. कार्यक्रम में व्यक्तिगत व्यय यथा मेस चार्ज आदि नामित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
9. कम्पस में सुसज्जित लाईब्रेरी, कम्प्यूटर लैब, आवासीय सुविधा व इन्डोर व आउटडोर खेल सुविधा उपलब्ध है।

आवेदन पत्र का प्रारूप तथा विस्तृत जानकारी एन.आई.एफ.एम. संस्थान की वेबसाइट <http://www.nifm.ac.in> पर देखी जा सकती है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन वेबसाइट पर दिए गये निर्धारित प्रारूप में संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को दिनांक 12.06.2020 तक प्रस्तुत करें।

  
(अपूर्व जोशी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान। कृपया जिले में कार्यरत राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों को इस परिपत्र की जानकारी कराने की व्यवस्था करें।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को भेजकर लेख है कि उक्त पाठ्यक्रम के इस पत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित करावें।

  
संयुक्त शासन सचिव